

APPLICATION FOR VISITOR'S CARD
(SPECIAL GALLERY)

To

The Secretary-General,
Lok Sabha.

Dated the

Sir,

Please issue me visitor's card(s) for the person(s) named below for the sitting of Lok Sabha to be held on the

1. Visitor's name in full (in block letters) -
2. Age -
3. Relationship with the Member - Son/daughter/father/mother
(Please tick-mark whichever is applicable.)

I take full responsibility for him/her/them.

Yours faithfully,

Member of Lok Sabha

(Identity Card No.....)

NAME

1. This application should reach the Centralised Pass Issue Cell not later than 16.00 hours on the working day previous to the date for which the visitor's card(s) is/are required.
2. Only the following relations of Members are eligible for the visitors' cards for the Special Gallery:-
(1) Son, Daughter
(2) Father, Mother
Members are requested not to apply for Special Gallery cards in respect of persons other than relations mentioned above.
3. Children below 10 years of age are not admitted to the Gallery.

दर्शक प्रवेश-पत्र के लिए आवेदन
(विशेष दीर्घा)

सेवा में,

महासचिव,
लोक सभा ।

दिनांक

महोदय,

मुझे निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए, को होने वाली लोक सभा की बैठक के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र भेजने की कृपा करें ।

1. दर्शक का पूरा नाम -
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आयु -
3. सदस्य के साथ सम्बन्ध - पुत्र/पुत्री/पिता/माता
(जो भी सम्बन्ध हो उस पर निशान लगायें)

मैं उसके/उनके लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ ।

भवदीय,

सदस्य, लोक सभा

(पहचान पत्र संख्या

नाम

1. जिस तारीख के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र चाहिए उससे पहले कार्य-दिवस को यह आवेदन पत्र 16.00 बजे तक केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में पहुंचना चाहिए ।
2. सदस्यों के निम्नलिखित सम्बन्धी ही विशेष दीर्घा के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र पाने के पात्र हैं:-
(1) पुत्र, पुत्री
(2) पिता, माता
सदस्यों से निवेदन है कि वे उपरोक्त सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के लिए विशेष दीर्घा प्रवेश-पत्रों के लिए आवेदन न करें ।
3. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दीर्घा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।